सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन, 1941 (श०)

संख्या- 148 राँची, शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

2 मार्च, 2020

संख्या-5/आरोप-1-62/2015-3515 (HRMS)-- श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-832।/03, गृह जिला- औरंगाबाद) अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू के विरूद्ध इनके जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, राँची के पत्रांक-203(i)/स्था0, दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप- श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा थाना नं0-298, मौजा-हेथु के खाता नं0-14, प्लॉट नं0-1300, रकबा-0.72 एकड़ जो सरकार द्वारा बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू-अर्जन वाद सं0 09/2008-09 से किया गया है, के वास्तविक हकदार को मुआवजा भुगतान किए जाने के दौरान अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आने पर इसकी जाँच अपर समाहर्त्ता, राँची से करायी गयी। अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-2983(ii), दिनांक 31.07.2015 के रूप में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा उक्त अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान में निम्नांकित अनियमितता बरती गयी है-

(1) थाना नं0- 298, खाता नं0-14, प्लॉट नं0-1300, रकबा 0.24 एकड़ सरकार द्वारा अर्जित भूमि के मुआवजा का भुगतान श्री दीपक कुमार वर्मा, पिता-श्री छत्रधारी कुमार उर्फ छत्रधारी राम, मौजा हेथु को दिनांक 26.03.15 को किया गया, जबकि उक्त अर्जित भूमि के मुआवजा के हकदार श्री दीपक कुमार वर्मा नहीं है।

(2) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 06.03.13 को श्री दीपक कुमार वर्मा के मुआवजा भुगतान आवेदन को निरस्त किए जाने पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं0W॰P॰(S) No. 4366/2013 मुकेश कुमार उर्फ मुकेश रंजन बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया, जो मुआवजा भुगतान की तिथि को लंबित था। उक्त वाद में सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र को श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा को दिनांक 26.03.15 को मुआवजा भुगतान के क्रम में नजर अन्दाज किया गया।

(3) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा तथ्यों की विवेचना के आधार पर श्री दीपक कुमार वर्मा एवं श्री मुकेश रंजन के मुआवजा भुगतान आवेदनों की सुनवाई के उपरांत श्रीमती निर्मला देवी एवं श्रीमती पवन रेखा देवी, श्री मुकेश कुमार की आपत्ति के आलोक में दिनांक 06.03.13 को खारिज किया गया था। श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची द्वारा उक्त कार्रवाई को जानबूझ कर संज्ञान में नहीं लिया गया एवं श्री दीपक कुमार वर्मा को मुआवजा का भुगतान किया गया।

(4) श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा मुआवजा भुगतान के पूर्व संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन तथा मुआवजा के वास्तविक हकदार का सत्यापन संबंधित अंचल अधिकारी से जानबूझकर नहीं कराया गया। मात्र जिला भू-अर्जन कार्यालय के अमीन/कानूनगों से अर्जित भूमि के मुआवजा के दावेदार के संबंध में जाँच कराकर औपचारिकता पूरी की गयी एवं उक्त मामला के विवादित रहने की बात से अवगत होने के बाद भी श्री दीपक कुमार वर्मा को मुआवजा का भुगतान किया गया।

(5) श्री सुरजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा प्रश्नगत भूमि के मुआवजा भुगतान में सरकार के प्रयोजन के लिए रैयतों की अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान के संदर्भ में विभागीय निदेश का अक्षरश: पालन नहीं किया एवं फर्जी हकदार श्री दीपक कुमार वर्मा को मुआवजा का भुगतान किया गया। श्री सिंह का उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं नियम विरूद्ध है, जो अनियमितता का द्योतक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8807, दिनांक 07.10.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक-1399, दिनांक 31.12.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2229, दिनांक 11.03.2016 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी तथा अर्द्ध सरकारी पत्रांक-6118, दिनांक 18.07.2016, पत्रांक-7664, दिनांक 08.08.2016 एवं अर्द्ध सरकारी पत्रांक-9805, दिनांक 21.11.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-2260(ii), दिनांक 26.11.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-1156, दिनांक 06.02.2017 द्वारा इनके विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-198, दिनांक 12.07.2017 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् इन्हें मूल कोटि (वेतनमान-PB-II 9300-34800/-,Grade Pay 5400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-9) में पदावनत करने तथा पदावनत की अवधि 7 (सात) वर्षों तक प्रभावी रखने हेतु विभागीय पत्रांक-9488, दिनांक 01.09.2017 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक-01, दिनांक 16.10.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इन्हें अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B-III, 15600-39100/-ग्रेड पे0 7600) में प्रोन्नति प्रदान की गयी है, अतः उक्त प्रस्तावित दण्ड को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है-

(i) इनको अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B-III, 15600-39100/-ग्रेड पे0 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-11) में पदावनत किया जायेगा।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B-III, 15600-39100/-ग्रेड पे0 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में पदावनत अवधि 07 (सात) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियानुसार विचार किया जायेगा।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में श्री सिंह की वरीयता अप्रभावित रहेगी।

श्री सिंह के विरूद्ध पदावनति का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-3177, दिनांक 14.05.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी, जिसके आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1720, दिनांक 20.07.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात्, विभागीय संकल्प सं0-7104, दिनांक 19.09.2018 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(viii) के तहत् पदावनति की शास्ति निम्न शर्तों के साथ अधिरोपित किया गया:-

(i) इनको अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B-III, 15600-39100/-ग्रेड पे0 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-11) में पदावनत किया जायेगा।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान-P.B-III, 15600-39100/-ग्रेड पे0 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-11) में पदावनत अवधि 07 (सात) वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियानुसार विचार किया जायेगा।

(iii) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता में श्री सिंह की वरीयता अप्रभावित रहेगी।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक-01 खूँटी, दिनांक 17.12.2018 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) दण्ड आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मेरे विरूद्ध कौन सा आरोप, किस प्रकार एवं किस साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हुआ है। इस प्रकार मेरे विरूद्ध अधिरोपित दण्ड तथ्यविहीन, तर्कविहीन एवं आधारविहीन है।

(ii) जिनके हस्ताक्षर से मेरे विरूद्ध प्रपत्र-'क' जारी किया गया था, उनमें से कोई भी पदाधिकारी मेरे नियुक्ति पदाधिकारी अथवा अनुशासनिक पदाधिकारी नहीं थे।

(iii) विभागीय कार्यवाही के क्रम में एक आवेदन दिनांक 15.03.2017 को संचालन पदाधिकारी को सम्बोधित कर सौंपा गया था, जिसमें शिकायतकत्र्ता का नाम, पदनाम, पता तथा सरकारी पक्ष के गवाहों का नाम एवं पता की माँग की गई थी।

(iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य एवं बिना प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान किये मनमाने ढंग से बिना किसी सुनवाई के ही जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया।

पुनः, श्री सिंह के पत्रांक-कैम्प (02) राँची दिनांक 09.01.2019 द्वारा एक पूरक अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक-2700562 दिनांक 28.01.2019 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया कि "श्री दीपक कुमार वर्मा के द्वारा बाध्यकारी परिस्थितियों में अपना गुनाह स्वीकार करते हुए प्राप्त मुआवजा की मूल राशि 20,38,418/- रू0 जिला भू-अर्जन कार्यालय, राँची में नाजिर रसीद सं0-JD/01-554736 दि0 25.10.2018 द्वारा जमा कर दिया गया है। साथ ही, इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि श्री दीपक कुमार वर्मा द्वारा ब्याज की राशि जमा नहीं किया गया है, फलस्वरूप श्री वर्मा के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद लम्बित है"।

श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-4429, दिनांक 06.06.2019 द्वारा उपायुक्त, राँची से प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-819(ii)/स्था0 दिनांक 13.07.2019 द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची का पत्रांक-1224(ii) दिनांक 12.07.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित है कि श्री दीपक कुमार वर्मा द्वारा चेक सं0-256309 दिनांक 25.10.2018 द्वारा 14,38,418/- रू0 एवं चेक सं0-270365 दिनांक 25.10.2018 द्वारा 6,00,000/- रू0 अर्थात् कुल राशि 20,38,418 /- रू0 जमा की गई है, जिसे नाजिर रसीद सं0-JD/01-554736 दिनांक 25.10.2018 द्वारा प्राप्ति दिया गया है।

श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदनों एवं जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्री सिंह का यह कथन कि दण्ड आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि इनके विरूद्ध कौन सा आरोप, किस प्रकार एवं किस साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हुआ है, अमान्य है, क्योंकि विभागीय संकल्प सं0-7104 दिनांक 19.09.2018 द्वारा पारित दण्डादेश में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये पाँचों आरोपों का विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध सभी पाँचों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

(ii) श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर ही विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(iii) श्री सिंह के विरूद्ध आरोपों का गठन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि साक्ष्य तालिका में गवाह के रूप में किसी व्यक्ति का नाम उल्लेखित नहीं है। इसलिए गवाह का नाम, पदनाम एवं पता की माँग करना बिल्कुल अप्रासंगिक है।

(iv) श्री सिंह का यह कथन कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य एवं बिना प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान किये मनमाने ढंग से बिना किसी सुनवाई के ही जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया अमान्य है, क्योंकि वे विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बचाव-बयान समर्पित किये हैं एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्यों एवं आरोपी के द्वारा समर्पित बचाव-बयान की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त ही अपना मंतव्य प्रेषित किया गया है।

(v) श्री दीपक कुमार वर्मा से मुआवजा के रूप में भुगतान की गई 20,38,418 /- रू0 की मूल राशि वसूल कर ली गई है, किन्तु ब्याज की राशि जमा नहीं करने के कारण श्री वर्मा के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद अभी तक लम्बित है।

अतः, समीक्षोपरांत, श्री सुरजीत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति-अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-7104 दिनांक 19.09.2018 द्वारा अधिरोपित पदावनती संबंधी दण्डादेश को रद्द किया जाता है।

(ii) श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SURJEET KUMAR SINGH BHR/BAS/3896	श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा0प्र0से0, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू के विरूद्ध पूर्व में विभागीय संकल्प सं0-7104, दिनांक 19.09.18 द्वारा अधिरोपित पदावनति का दंड रद्द करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 148 -- 50